

# लेखाशास्त्र

वित्तीय लेखांकन

भाग - 1



11111



एन सी ई आर टी  
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 81-7450-557-1

### प्रथम संस्करण

अप्रैल 2006 चैत्र 1928

### पुनर्मुद्रण

जनवरी 2007 माघ 1928

अक्तूबर 2007 कार्तिक 1929

जनवरी 2009 माघ 1930

जनवरी 2010 माघ 1931

जनवरी 2011 माघ 1932

मार्च 2019 फाल्गुन 1940

सितंबर 2019 भाद्रपद 1941

### PD 5T RSP

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण  
परिषद्, 2006

₹ 135.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम.  
पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक  
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद  
मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा

द्वारा मुद्रित।

### सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक को विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

### एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस  
श्री अरविंद मार्ग  
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708  
108, 100 फीट रोड  
हेली एक्सप्रेशन, होस्टेकेरे  
बनासंकरा III इस्टेज  
बेंगलूरु 560 085 फोन : 080-26725740  
नवजीवन ट्रस्ट भवन  
डाकघर नवजीवन  
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446  
सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस  
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी  
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454  
सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स  
मालीगांव  
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

### प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम. सिराज अनवर  
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल  
मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा  
मुख्य व्यापार प्रबंधक : बिबाष कुमार दास  
सहायक संपादक : गोविन्द राम  
उत्पादन सहायक : प्रकाश वीर सिंह

### आवरण

श्वेता राव

## आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा (2005) सूझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाये हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्रचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज्ञादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और काग्रशैली में काफी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उनता ही जरूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन. सी. ई. आर. टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के

( iv )

अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर आर. के. ग़ोवर की विशेष आभारी हैं। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली  
20 दिसंबर 2005

निदेशक  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान  
और प्रशिक्षण परिषद्

## पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

### अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

### मुख्य सलाहकार

आर.के. ग्रोवर, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इग्नू नयी दिल्ली

### सदस्य

अमित सिंघल, लेक्चरर, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

अश्विनी कुमार काला, पी.जी.टी. वाणिज्य, हीरालाल जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सदर बाजार, दिल्ली

ए.के. बंसल, रीडर, पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज, नेहरू नगर, नयी दिल्ली

ईश्वर चंद, पी.जी.टी. वाणिज्य, सर्वोदया बाल विद्यालय, वेस्ट पटेल नगर, नयी दिल्ली

के. संबसिवा राव, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापटनम्

डी.के. वेद, प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली

दीपक सहगल, रीडर, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

पी.के. गुप्ता, रीडर, प्रबंध शिक्षा विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

एम. श्रीनिवास, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

राजेश बंसल, पी.जी.टी. वाणिज्य, रोहतगी, ए. वे. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली

वनीता त्रिपाठी, लेक्चरर, वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

एस.के. शर्मा, रीडर, खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

एस.एस. सहरावत, सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़

सुशील कुमार, पी.जी.टी. वाणिज्य, सर्वोदय बाल विद्यालय, कैलाश पुरी, दिल्ली

सविता शंगारी, पी.जी.टी. वाणिज्य, ज्ञान भारती स्कूल, साकेत, नयी दिल्ली

शिव जुनेजा, पी.जी.टी. वाणिज्य, निरंकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पहाड़गंज, नयी दिल्ली

एच.वी. झांब, रीडर, खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

### हिंदी अनुवाद

विनीता दत्त, पी.जी.टी. वाणिज्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ए. ब्लॉक, सरस्वती विहार, नयी दिल्ली

मनवीर सिंह राणा, पी.जी.टी. वाणिज्य, गंगा इंटरनेशनल स्कूल, हिरण कूदना, रोहतक रोड, दिल्ली

एस.के. बंसल, पी.जी.टी., कॉमर्शियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरियागंज, दिल्ली

राजेश बंसल, पी.जी.टी. वाणिज्य, ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली

### सदस्य-समन्वयक

शिप्रा वैद्य, एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य), सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

© NCERT  
not to be republished

## आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, इस पुस्तक के निर्माण एवं पुनरीक्षण में सहयोग देने हेतु पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति का आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, सविता सिन्हा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने प्रत्येक स्तर पर इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दिया।

परिषद् यतेन्द्र कुमार यादव, कॉपी एडिटर; दीप्ती शर्मा, नौशाद अहमद, प्रूफ रीडर के सहयोग हेतु अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसी संदर्भ में प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का सहयोग भी उल्लेखनीय है।

हम उन सभी वाणिज्य शिक्षकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक की क्यू.आर. कोड की अतिरिक्त पाठ्य सामग्री तैयार करने में अपना योगदान दिया है।

## भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म  
और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और <sup>2</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख  
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को  
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।



## विषय-सूची

	आमुख	iii
<b>अध्याय 1</b>	<b>लेखांकन-एक परिचय</b>	<b>1</b>
	1.1 लेखांकन का अर्थ	2
	1.2 लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में	6
	1.3 लेखांकन के उद्देश्य	11
	1.4 लेखांकन की भूमिका	13
	1.5 लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द	15
<b>अध्याय 2</b>	<b>लेखांकन के सैद्धांतिक आधार</b>	<b>24</b>
	2.1 सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्त (GAAP)	25
	2.2 आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं	26
	2.3 लेखांकन प्रणालियां	36
	2.4 लेखांकन के आधार	37
	2.5 लेखांकन मानक	37
	2.6 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली	39
	2.7 वस्तु एवं सेवा कर	42
<b>अध्याय 3</b>	<b>लेन-देनों का अभिलेखन-1</b>	<b>49</b>
	3.1 व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख	49
	3.2 लेखांकन समीकरण	53
	3.3 नाम व जमा का प्रयोग	56
	3.4 प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें	64
	3.5 खाता बही	77
	3.6 रोजनामचे से खतौनी	80
<b>अध्याय 4</b>	<b>लेन-देनों का अभिलेखन-2</b>	<b>105</b>
	4.1 रोकड़ बही	106
	4.2 क्रय (रोजनामचा) पुस्तक	134

4.3	क्रय वापसी (रोजनामचा) पुस्तक	137
4.4	विक्रय (रोजनामचा) पुस्तक	139
4.5	विक्रय वापसी (रोजनामचा) पुस्तक	141
4.6	मुख्य रोजनामचा	152
4.7	खातों का संतुलन	154
<b>अध्याय 5</b>	<b>बैंक समाधान विवरण</b>	<b>177</b>
5.1	बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता	178
5.2	बैंक समाधान विवरण का निर्माण	184
<b>अध्याय 6</b>	<b>तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन</b>	<b>207</b>
6.1	तलपट का अर्थ	207
6.2	तलपट बनाने के उद्देश्य	208
6.3	तलपट को तैयार करना	211
6.4	तलपट के मिलान का महत्त्व	216
6.5	अशुद्धियों को ज्ञात करना	219
6.6	अशुद्धियों का संशोधन	219
<b>अध्याय 7</b>	<b>हास, प्रावधान और संचय</b>	<b>255</b>
7.1	हास	255
7.2	हास एवं इससे मेल खाते शब्द	259
7.3	हास के कारण	259
7.4	हास की आवश्यकता	261
7.5	हास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व	261
7.6	हास की राशि की गणना की पद्धतियाँ	264
7.7	सीधी रेखा एवं क्रमागत हासविधि तुलनात्मक विश्लेषण	268
7.8	हास के अभिलेखन की पद्धतियाँ	270
7.9	परिसम्पत्ति का निपटान/विक्रय	280
7.10	वर्तमान परिसम्पत्ति में बढ़ोत्तरी एवं विस्तार	292
7.11	प्रावधान	295
7.12	संचय	297
7.13	गुप्त संचय	302
<b>अध्याय 8</b>	<b>विनिमय विपत्र</b>	<b>311</b>
8.1	विनिमय-विपत्र की परिभाषा	312
8.2	प्रतिज्ञा-पत्र	314

( xi )

8.3	विनिमय-विपत्र के लाभ	315
8.4	विपत्र की परिपक्वता	316
8.5	विपत्र को बट्टागत ( भुनाना ) करना	317
8.6	विनिमय-विपत्र का बेचान	317
8.7	लेखांकन व्यवहार	317
8.8	विनिमय-विपत्र का अनादरण	325
8.9	विपत्र का नवीनीकरण	331
8.10	विनिमय-विपत्र का परिपक्वता तिथि से पूर्व भुगतान	333

© NCERT  
not to be republished

# भारत का संविधान

## भाग 4क

### नागरिकों के मूल कर्तव्य

#### अनुच्छेद 51 क

**मूल कर्तव्य** - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।